नकदी एवं देयक अनुभाग-III
भाकृअनुप-राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान(मानद् विश्वविद्यालय)
अग्रसैन चौक, करनाल, हरियाणा - 132001

फ.सं. 1-33/C&B-III/Part-III- दिनांक: 23.02.2022

परिपत्र

विषय:- इम्प्रेस्ट फण्ड के उपयोग के दौरान ध्यान रखे जाने वाली जानकारी बाबत |

सक्षम अधिकारी की जानकारी में आया है कि इम्प्रेस्ट बिलों को बनाते समय आवश्यक नियमों/ अपेक्षाओं का नियमानुसार पालन नहीं किया जा रहा है | अतः यह अनुरोध है कि उक्त फण्ड के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा जाए :-

1) इम्प्रेस्ट में प्रभारी को आकस्मिक व्यय की पूर्ति के लिए दी गयी स्वीकृत राशि से अधिक राशि का व्यय नहीं किया जाना चाहिए। यदि प्रभारी को स्वीकृत राशि की क्षमता से अधिक व्यय करने की आवश्यकता प्रतीत होती है तो कार्य को करवाने से पहले सक्षम अधिकारी से स्वीकृति कराई जानी जरुरी है।

2) जहाँ तक संभव हो, इम्प्रेस्ट फण्ड से किये गए बिल की प्रतिपूर्ति उसी महीने में कर ली जाए, चूंकि पुराने या लंबित बिलों/ इनवॉइस/ कैश बिलो / कैश मेमो को देरी से एडजस्टमेंट के लिए भेजा जाना ऑडिट दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

3) यदि कोई रूटीन एवं नियमित प्रकार का व्यय किया जाता है तो उसे इम्प्रेस्ट फण्ड से बार - बार क्रय कराने के बजाए आवश्यकता का आंकलन करके इंडेंट बना कर संस्थान या प्रोजेक्ट बजट के अन्तर्गत क्रय किया जाए।

4) इम्प्रेस्ट फण्ड से व्यय करने से पहले की तिथि में सक्षम अधिकारी से स्वीकृति जरुरी है | यदि कोई बहुत जरुरी कार्य है और खर्च से पहले सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेना संभव नहीं है तो उस कार्य की Ex-Post-Fecto sanction ली जाए|

5) मांगपत्र देने वाले अधिकारी व स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी से अनुरोध है की स्वीकृति पत्र पर अपने हस्ताक्षर दिनांक के साथ करें|

5) हर एक खरीद के संबंध में उचित ओरिजिनल बिल (preferable GST bill) पर पे आर्डर, संबंधित रजिस्टर में सामग्री/ सामान की एंट्री और गुणवत्ता प्रमाण पत्र लगा कर इम्प्रेस्ट बिल के साथ लगाया जाए|

6) किसी भी स्थिति में एक बिल की अधिकतम राशि रु 2000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए| आपातकालीन स्थिति में यदि 2000 रु से अधिक का व्यय एक बार में किया जाना जरूरी हो जाता है तो उसके लिए सक्षम अधिकारी/ निदेशक से स्वीकृति ली जानी जरुरी है।

7) जहां तक आवश्यक हो संबंधित प्रभाग/ अनुभाग / केंद्रीयं भण्डार / एम्. इ. / कंप्यूटर केंद्र / डेरी इंजीनियरिंग प्रभाग इत्यादि से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र (Non availability certificate) लेने के उपरांत ही इम्प्रेस्ट फण्ड से खरीद की जाए|

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

गुरज्योति 23/2/2022

आहरण एवं संवितरण अधिकारी